न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–16 / 2023

जीसीएमएस नं:–2023 / 377

1. प्रवीन कुमार पुत्र पिरथीचन्द अकवाम चौधरी तहसील नूरपुर जिला कांगडा (हि.प्र.)
2. रमेश उर्फ सुशील कुमार पिरथीचन्द अकवाम चौधरी तहसील नूरपुर जिला कांगडा (हि.प्र.)
3. पवना देवी पुत्री पिरथीचन्द अकवाम चौधरी तहसील नूरपुर जिला कांगडा (हि.प्र.)
4. वीना देवी पुत्री पिरथीचन्द अकवाम चौधरी तहसील नूरपुर जिला कांगडा (हि.प्र.)
5. स्वर्णादेवी पुत्री पिरथीचन्द अकवाम चौधरी तहसील नूरपुर जिला कांगडा (हि.प्र.)

–– प्रार्थीगण

बनाम्

1. पूर्णसिंह पुत्र मेलासिंह जाति मेहरा निवासी चक 6 डब्लयु तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–– अप्रार्थीगण

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27/10/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के नाम से वाके चक 18 पी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–58 / 4 मु.न.84 के किला नं.–9 ता 20 प्रत्येक का 0.253, 21 / 1 में 0 227, 22 / 1 में 0.227, 23 / 1 में 0.228, 24 / 1 में 0.228. 25 / 1 में 0.228 हैक्टर कुल 4174 हैक्टर नहरी खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अनावेदक से। के अधिकार, अधिपत्य व कब्जा काश्त में है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलग्न है। अनावेदक सं.–1 के अधिकार व अधि[illegible] के वाके चक 18 पी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–58 / 4 मु.न.–84 के [illegible] 16, 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं जिसे स्वीकृत किया जावे जो [illegible] दक्षिण दिशा में मु. नं.–58 / 4 के किला नं.–21 ता 25 में चक 18 [illegible] मुख्य सडक तक पहुंचेगा उक्त चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से आवेदकगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आ जा सकेंगे तथा जो रास्ता 18 पी से 22 पी गावं में जाने वाली मुख्य सडक से जुड जाऐगा जिससे आवेदकगण अपनी कृषि भूमि में आसानी से आवागमन कर सकेगें उक्त रास्ता पूर्व में अनावेदक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.10 11:23:36 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

की सहमति स्वरूप चल रहा है जिससे आवेदकगण अपनी भूमि में आवागमन करते आ रहे है नजरी नक्शा सलग्नं है। आवेदकगण की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिऐ विद्यमान में कोई मार्ग नंही है तथा आवेदकगण द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम, सबसे छोटा व सुगम रास्ता है जिसकी आवेदकगण को अत्याधिक आवश्यकता है। जिसके लिए आवेदकगण नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदय करने को तैयार है। यह कि आवेदकगण ने अपनी उक्त कृषि भूमि में के लिऐ उक्त अनावेदक सं.–1 से अरसा पाचं दिन पूर्व नया मार्ग बनाने/स्वीकृत करवाने के लिऐ आग्रह किया तो वह स्पष्ट इन्कार हो गया और स्पष्ट रूप से धमकी दी कि वह आवेदकगण को उनकी कृषि भूमि में आवागमन के लिऐ अपनी भूमि के किला नम्बर 15, 16, 25 में से कोई रास्ता नहीं देगा बल्कि जो सहमति से रास्ता चल रहा है उसे भी वह शीघ्र बन्द कर देगा। इसलिए आवेदन पेश है। यह कि आवेदकगण सं.–3 ता 5 ने अपनी और से आवेदक सं.–1 व 2 को अपना मुख्तयारआम नियुक्त कर अधिकृत कर रखा है मुख्तयारनामा की प्रति सलग्न है इसलिऐ मुख्तयारआम आवेदक सं.–1 व 2 की ओर से यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। यह कि अनावेदक सं. –2 तहसीलदार राजस्व अनूपगढ को भूमिधारी एवं राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने के कारण आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण की कृषि भूमि वाके चक 18 पी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–58/4 मु.न.–84 के किला नं.–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिए अनावेदक के धारणाधिकार, कब्जा व अधिपत्य की इसी चक 18 पी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–58/4 मु. न.–84 के किला नं. 15, 16, 25 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अकंन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से श्री दिनेश कुमार कामरा एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया अप्रार्थी पूर्ण सिंह के नाम से वाके अनूपगढ़ तहसील के चक 18 पी का मुरब्बा नम्बर 84, पत्थर संख्या 58/4 के किला नम्बर 09 ता 20 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 21/1 में 0.227 हैक्टर, किला नम्बर 22/1 में 0.227 हैक्टर, किला नम्बर 23 में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 24 में 0.228 हैक्टर एवं किला नम्बर 25/1 में 0.228 हैक्टर कुल 4.174 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 01 पूर्ण सिंह के नाम से वाके अनूपगढ तहसील के चक 18 पी का मुरब्बा नम्बर 84, पत्थर संख्या 58/4 के किला नम्बर 15, 16, 25 में रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त कृति भूनि सार्थी संख्या 01 पूर्ण सिंह कास्त करता आ रहा है व वर्तमान में उसकी फसली हैं तथा मौका उसकी कृषि भूमि के चारों तरफ अवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु पक्की तारबन्दी लगी हुई हैं व मौका पर कोई रास्ता भी वर्तमान में नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के उत्तर दिशा में मुरब्बा नम्बर 58/3 स्थित है उसके किला नम्बर 20 ता 25 में रास्ता दिया जा सकता है जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि को आपस में जोड़ता है जो कि बिल्कुल ही नजदीक एवं सुलभ रास्ता होगा। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 को केवल मात्र तंग परेशान करने की नियत

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.10 11:23:36 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

से अनवानी प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण पिछले काफी समय से मुरब्बा नम्बर 58/3 के किला नम्बर 20 ता 25 में से ही आवागमन करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के उत्तर दिशा में विपते ही मुरब्बा नम्बर 58/3 स्थित है उसके किला नम्बर 20 ता 25 में रास्ता दिया जा सकता है जो प्रार्थीगण की कृषि भूनि को आपस में जोड़ता है जो कि बिल्कुल ही नजदीक एवं सुलभ रास्ता होगा। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 को केवल मात्र तंग परेशान करने की नियत से अनवानी प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अनवानी प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी के है। प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए पूर्व से ही रास्ता मौजूद है, जिसे प्रार्थीगण काफी समय से उपयोग कर रहे है इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि में से किसी भी प्रकार से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ एवं हल्का पटवारी से मिली भगत करके मौका रिपोर्ट तैयार करवाया है। हल्का पटवारी ने उक्त मौका रिपोर्ट दोनों पक्षकारान की मौजूदगी में नही करके केवल मात्र प्रार्थीगण से मिली भगत करके प्रार्थीगण को लाभ पहुंचाने की नियत से उनके कहेनुसार आनन फानन में उक्त रिपोर्ट तैयार की है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ को आदेशित किया जावे कि वह दोनों पक्षकारान की मौजूदगी में हल्का पटवारी से पुनः मौका रिपोर्ट बनवाये जिससे प्रकरण के सही एवं वास्तविक स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष उजागर हो सके जिससे माननीय न्यायालय को निर्णय करने में आसानी होगी। यह कि प्रार्थीगण ने अनवानी प्रार्थना पत्र झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अनवानी प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी के है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अनवानी प्रार्थना. पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जाये।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण सं.–2 तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ के चक 18 पी का मु.न.–84 प.न.–58/4 के कि.न.–1 ता 8 कुल भूमि 2.024 हैक्टर कमाण्ड खातेदार प्रवीन कुमार वगैरह पिरथी चन्द साकिन सुथान तहसील नुरपूर जिला कागड़ा खातेदार दर्ज है। किला नं.–9 ता 25 कुल 4.174 कमाण्ड अनकमाण्ड पूर्णसिंह पुत्र मैलासिंह जाति मेहरा गैर खातेदार चक 18 पी दर्ज है आवेदक प्रवीन कुमार वगैरह को अपने खेत में पत्थर नं.–58/4 का किला नं.–1 ता 8 में अपने खते में से आने जाने हुतु कोई रास्ता नहीं है। मुताबिक जमाबन्दी पत्थर नं.–58/4 का किला नं.–21/2 का 0.026, 22/2 का 0.026, 23/2 का 0.025, 24/2 का 0.25, 25/2 कर 0.025 कुल 0.127 गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत व मौके पक्की सड़क बनी हुई है। आवेदक प्रवीण कुमार वगैरह अपने खेत पत्थर नं.–58/4 का किला नं.–8 में जाने हेतु पत्थर नं.–58/4 का किला नं.–15 का 0.012, 16 का 0.012, 25 का 0.012 कुल भूमि 0.036 हैक्टर स्वीकृत करवाना चहता है। उक्त रास्ते के अलावा आवेदक के खेत में जाने हेंतु नजदीक एवं सुलभ रास्ता नही है। रिपोर्ट व नजरी नक्शा सलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.10 11:23:36 IST
Reason: SelfAttested

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

को अपने खेत में जाने के लिए चक 18 पी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–58/4 मु.न.–84 के किला नं. 15, 16, 25 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत रास्ता खेत हेतु मांग की है। जो प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु गैर खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता चाहा गया है जबकि कानूनन खातेदार कृषक की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गैर खातेदार कृषक की गैर खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। अतएव प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 251ए राजसथान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 27/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.10 11:23:36 IST
Reason: SelfAttested